

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

SESSION - 2020-21

B.V.Sc. & A.H. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्पॉट काउंसलिंग (ऑफलाईन) की रिक्त सीटें, नियम एवं शर्तें
(दिनांक 05.03.2021 पंजीयन समय सुबह 11.00 बजे)

क. रिक्त सीटों की जानकारी

1. Bachelor of Veterinary Science & Animal Husbandry (College of Veterinary Science & Animal Husbandry,
Jabalpur / Mhow / Rewa)

B.V.Sc. & A. H.	UR						SC						ST						OBC						UR EWS	TOTAL
	X	F	FF	S	PH	K	X	F	FF	S	PH	K	X	F	FF	S	PH	K	X	F	FF	S	PH	K		
Co.V.Sc. & A.H., Jabalpur	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
Co.V.Sc. & A. H., Mhow	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Co.V.Sc. & A. H., Rewa	4	3	1	0	1	0	3	2	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	19
TOTAL	7	5	2	0	2	0	3	2	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	29

(UR = अनारक्षित, SC= अनुसूचित जाति, ST= अनुसूचित जनजाति, OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग,

वर्ग: F = महिला, K= कृषक, FF= स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी, S=सैनिक, PH=द्विव्यांग , EWS सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर

X = इन में से कोई नहीं अर्थात बिना वर्ग)

स्थान : सभागार, पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, साउथ सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र) 482001

टीप : प्रवेशित छात्र –छात्राओं द्वारा प्रवेश निरस्त कराये जाने पर बेबसाईट में प्रदर्शित रिक्त सीटों की सख्ता में वृद्धि हो सकती है।

1. प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की स्वयं की उपस्थिति अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी जिन्होंने CRISP, Bhopal द्वारा ऑनलाईन काउंसलिंग हेतु पंजीयन किया हैं अथवा जिन्होंने पंजीयन नहीं किया है, समस्त पात्र अभ्यर्थी स्पॉट काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं।
3. काउंसलिंग की नियत तिथि दिनांक 05.03.2021 को जो अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर पंजीयन करवायेगें केवल वे अभ्यर्थी ही प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के पात्र होंगे।
4. बिलम्ब से आने वाले अभ्यर्थीयों को प्रवेश प्रक्रिया में देर से शामिल होने के कारण रिक्त स्थान पर प्रवेश न मिलने की जबाबदारी उनकी स्वयं की होगी।
5. अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में ऑनलाईन काउंसलिंग के द्वारा B.V.Sc. & A.H. पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है, वे स्पॉट काउंसलिंग में B.V.Sc & A.H. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग में भाग लेने हेतु पात्र हैं। परंतु महाविद्यालय का परिवर्तन मंरिट के आधार पर ही किया जायेगा।
6. B.V.Sc. & A.H. पाठ्यक्रम में प्रवेश PV&FT-2020 कि प्रवीण्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची के आधार पर सीट आवंटन किया जायेगा।
7. प्रवेश हेतु PV&FT-2020 की नियम पुस्तिका में दिये गए नियमों का पालन किया जाएगा एवं दषार्थ गए प्रारूप अनुसार ही वांछित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य हैं।
8. अनारक्षित (ओपन, महिला, दिव्यांग, सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी एवं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS)) वर्ग की सीटों में प्रवेश हेतु PV&FT-2020 परीक्षा में न्यूनतम 33 प्राप्तांक होना आवश्यक है।
9. अभ्यर्थी प्रवेश लेने हेतु निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होवे।

- पी.डी.एण्ड एफ.टी. परीक्षा 2020 की अंक सूची।
- हाई स्कूल (10th), हायर सेकेण्डरी (12th Class) की मूल अंकसूची एवं प्रमाण—पत्र।
- चरित्र प्रमाण पत्र अन्तिम अध्ययनरत संस्था के प्राचार्य द्वारा जारी।
- स्थानांतरण प्रमाण पत्र।
- मझेशन प्रमाण पत्र।

- तत्काल की चार पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जिसके पीछे अभ्यर्थी अपना नाम लिखेंगे।
- सक्षम अधिकारी द्वारा आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- कृषक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- सैनिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
- यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो उसका शपथ पत्र।
- पंजीयत चिकित्सक द्वारा रक्त समूह का विवरण व स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
- माता/पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) (आरक्षित वर्ग के लिए)
- आधार कार्ड

समस्त मूल दस्तावेजों एवं उनकी दो छायाप्रतियों (फोटोकापी) को लाना अनिवार्य होगा।

10. अभ्यर्थी निम्नलिखित आवश्यक शुल्क के साथ उपस्थित होंगे

निर्धारित तिथि में प्रवेश हेतु शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। **कुल शुल्क भुगतान की पावती प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी आबंटित संस्था में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।** कुल शुल्क निर्धारित तिथि पर जमा न करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर अन्य प्रत्याशी को मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।

अनारक्षित वर्ग/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को समान रूप से प्रवेश हेतु निर्धारित शुल्क **B.V.Sc.&A.H.** हेतु रूपये **44438/-** प्रवेश के दिन ही जमा करना अनिवार्य होगा।

B.V.Sc. &A.H. हेतु कुल फीसः—

स.क्र.	वर्ष	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	44438 /—
2	द्वितीय वर्ष	40310 /—
3	तृतीय वर्ष	40310 /—
4	चतुर्थ वर्ष(1½ वर्षीय)	60460 /—
5	पंचम वर्ष	38910 /—

छात्रावास हेतु शुल्क

स.क्र.	वर्ष	कुल शुल्क (रूपए में)
1	प्रथम वर्ष	6410 /—
2	द्वितीय वर्ष	3400 /—
3	तृतीय वर्ष	3400 /—
4	चतुर्थ (1½ वर्षीय)	5100 /—
5	पंचम वर्ष	3400 /—

* विद्युत शुल्क खपत अनुसार एवं भोजनालय की षुल्कों का भुगतान अतिरिक्त देय होगा

शुल्क वापसी: सत्र 2020–21 में बी.व्ही.एससी एण्ड ए.एच. स्नातक पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के पश्चात् किसी कारणवश प्रवेश निरस्त करने पर शुल्क वापस विश्वविद्यालय नियमानुसार किया जाएगा।

11. किसी भी वर्ग/श्रेणी हेतु आरक्षित महिला सीटों में से केवल उसी श्रेणी/ वर्ग के महिला अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे ।
12. आरक्षण के नियमानुसार किसी भी वर्ग/श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उनके रिक्त सीटों को नियमानुसार वर्ग/श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा ।

अधिष्ठाता संकाय